अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध (सी0आर0आर0) वाद संख्या–04/2019

साजिद खान बनाम हबीब उल्ला मिर्जा वगै0 एवं राज्य

9.01.22

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के विविध वाद संख्या–01/2014–15/01/2015–16 साजिद खान बनाम हबीब उल्ला मिर्जा वगै0 एवं राज्य में दिनांक–10.08.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है। अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है। उभय पक्ष को सूचना निर्गत कर दिनांक–05.09.2019 को वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि आवेदक मौजा–भदवा, पो0–चैनपुर, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ खतियानी रैयत के वंशज हैं। मौजा–भदवा, थाना सं0–173, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के खाता स0–24, प्लॉट सं0–229, रकबा–0.94 एकड़, वो प्लॉट सं0–440, कुल रकबा–0.80 एकड़, जमीन मौजा–भदवा के जिआरत खान वल्द रोजी खान के नाम से खतियान में दर्ज था। मौजा–भदवा थाना सं0–173, खाता सं0–24, प्लॉट सं0–229, रकबा–0.94 एकड़ वो प्लॉट सं0–440, कुल रकबा–0.80 एक जमीन को जिआरत खान वल्द रोजी खान ने निबंधित दस्तावेज सं0–642, दिनांक–24.02.1940 को आवेदक के दादा करीम खान वल्द रूचान खान के हाथ मो0 125/–रू० सलामी लेकर बिक्री कर दिये। आवेदक के दादा करीम खान वल्द रूचान खान जमींदारी उन्मूलन वर्ष–1950 के पश्चात मौजा–भदवा, खाता सं0–24, प्लॉट सं0–229 रकवा–0.94 एकड़ वो प्लॉट सं0–440 कुल रकबा–0.80 एकड़ भूमि का पूर्व में जमीन्दारी एवं जमीन्दारी उन्मुलन पश्चात् राज्य सरकार के अधीन जमाबंदी कायम कराते हुए मालगुजारी रसीद अदा करते आए, जिसकी जमाबंदी राजस्व बुक नं0–01, भोल्युम सं0–04 पेज नं0–50/3 में दर्ज है। करीम खान अपने जीवनकाल में ग्राम–भदवा, खाता सं0–24, प्लॉट सं0–229, रकवा–0.94 एकड़ वो प्लॉट सं0–440, कुल रकबा–0.80 एकड़ में काबीज रहते हुए जोत आबाद कर जीवन व्यतीत करते हुए उक्त जमीन को अपने लड़का शरीफ खान को दखल कब्जा में सुपूर्द कर फौत कर गये। शरीफ खान मौजा–भदवा, खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, कुल रकबा–0.80 एकड़ जमीन अपने जीवनकाल में ही अपने लड़का साजीद खान के दखल कब्जा में देकर फौत कर गए। आवेदक अपने पिता स्व0 शरीफ खान से प्राप्त जमीन में दखल काबीज रहकर शांतिपूर्वक उपयोग करते आ रहे हैं एवं हाल वर्षों तक सरकार को करीम खान के नाम से मालगुजारी रसीद अदा करते आ रहे है, जिसका सरकारी रसीद सं0–AA 7432196, दिनांक–04.08.2000 तक निर्गत है। जिसमें खाता सं0 1, 24/2, रकबा 1.53 3/4 एकड अंकित है। आवेदक साजीद खान के दादा स्व0 करीम खान के नाम से कायम जमाबंदी मौजा–भदवा खाता सं0–24 प्लॉट सं0–440, कुल रकबा–0.80 एकड़ में से 0.06 3/4 एकड़ जमीन ग्राम भदवा के मोहम्मद सफीउल्लाह वल्द लियाकत मियां ने जाली एवं कपटपूर्ण दस्तावेज तैयार कर अपने नाम से अंचल कार्यालय, माण्डू में दाखिल खारिज वाद सं0–758/12–13 का निष्पादन करवाया गया। द्वितीय पक्ष (मोहम्मद सफीउल्लाह) ने जिस केवाला सं0–983/959, दिनांक–10.04.2012 ई0 का सहारा लिये हैं, अवलोकन करने से साफ स्पष्ट होगा कि उक्त जमीन का करीम खान के नाम से वर्तमान वर्ष तक का जमाबंदी कायम है। करीम खान के जमाबंदी कुल रकबा–0.80 एकड़ में से 0.06 3/4 एकड़ को घटाया भी नहीं गया है। द्वितीय पक्ष मोहम्मद सफीउल्लाह के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0–758/2012-13 को अवलोकन करने से स्पष्ट होगा कि विक्रेता

संजर खान वल्द रफीक खान ने मौजा–भदवा खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, रकबा–0.06 3/4 एकड़ जमीन बिक्री किये हैं। जबकि उक्त जमीन की जमाबंदी संजर खान या रफीक खान के नाम से किसी भी राजस्व पंजी में दर्ज नहीं है। मौजा भदवा खाता सं0–24, प्लॉट स0–440, कुल रकबा–0.80 एकड़ का रैयत संजर खान वल्द रफीक खान नहीं हैं, तो किस आधार पर जमीन बिक्री की गई। संजर खान वल्द रफीक खान ने चालाकी से आवेदक (साजीद खान) को सदविश्वास में लेकर करीम खान वल्द रूचान खान से निर्गत मूल रसीद सं०–A.A. 7432196, दिनांक–04.08.2000 को लेकर दिनांक–03.02.2003 के बाद अंकित रकबा–1.53 3/4 एकड़ को लिप्त लेखन कर (over Writing) 2.53 3/4 डी0 कर कुटरचित रसीद तैयार किया गया है, जो अभिप्रमाणित कॉपी से स्पष्ट होता है। द्वितीय पक्ष के मोहम्मद सफीउल्लाह के हाथ प्लॉट सं0–440 से 0.06 3/4 एकड जमीन को बेचा गया है। संजर खान वल्द रफीक खान ने पुनः लिप्त लेखन रसीद को आधार बनाकर करीम खान वल्द रूचान खान के नाम से खाता सं0–1/4 वो 24/2, रसीद सं०–J.B/41–6783003, दिनांक–17.01.2012 से वर्ष 2011–12 निर्गत दर्शित किया गया है, जो अपने आपमें विभेदपूर्ण है। द्वितीय पक्ष के मोहम्मद सफीउल्लाह ने जाली एवं कपटपूर्ण केवाला के आधार पर अंचल कार्यालय को धोखा एवं अंधकार में रखकर दाखिल खारिज वाद सं0–758/2012–13 से जमाबंदी कायम कराने में सफल हो गए अंचल कार्यालय माण्डू ने मौजा–भदवा खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, कुल रकबा–0.80 एकड़ भूमि का स्थानीय जांच प्रतिवेदन या संबंधित रैयत से जानकारी प्राप्त किये बिना ही टेबुल रिपोर्ट तैयार कर गलत तरीके से द्वितीय पक्ष के नाम से जमाबंदी कायम किया गया है, जो विधि विपरीत एवं निराधार है। ग्राम–भदवा, खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, कुल रकवा–0.80 एकड़ भूमि पर आवेदक साजीद खान का दखल–कब्जा है। द्वितीय पक्ष के हबीबउल्ला मिर्जा को मौजा–भदवा, खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, रकवा–0.80 एकड़ मध्ये रकवा–0.06 3/4 एकड़ भूमि पर कभी भी दखल–कब्जा नहीं हुआ और न वर्तमान में है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने विषयगत् वाद में अपने आदेश में अंकित किये है कि मामला स्वत्व वाद से संबंधित है। जबकि यह मामला स्वत्व निर्धारण का नही है बल्कि अंचल अधिकारी के माध्यम से गलत तरीके से द्वितीय पक्ष (मोहम्मद सफीउल्लाह) के नाम से दाखिल खारीज कर रसीद निर्गत करने से है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित दाखिल–खारिज आदेश को निरस्त करने का अपीलीय न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ अंचल अधिकारी, माण्डू के जांच प्रतिवेदन को अवलोकन किए बिना ही गलत आदेश पारित किये। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने अपने आदेश दिनांक–10/08/2018 के पेज नं0–19 में अंकित किये है कि भूमि बकास्त लगान पाने वाला जियारत खान दर्ज है तो B-R-L- Act 1950 की धारा 5, 6, 7 के तहत जमाबन्दी जियारत खान के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी। करीम खान के नाम से जमाबंदी कायम कैसे की गयी है न तो आवेदक ने जिक्र किया है और ना ही अंचल अधिकारी माण्डू द्वारा इस संबंध में कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। सच्चाई यह कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने आवेदक के आवेदन का पारा नं०–3 का अवलोकन नहीं किया जिसमें साफ–साफ अंकित है जियारत खान वल्द रोजी खान ने निर्बंधित दस्तावेज सं०–642 दिनांक–24/0 2/1940 से करीम खान रूचान खान के हाथ मो० वल्द 125 रूपया सलामी लेकर फरोख्त कर दिया, तत्पश्चात करीम खान के नाम से

जमाबन्दी कायम होकर राजस्व पंजी–II में दर्ज है। साथ ही साथ अंचल अधिकारी, माण्डू ने अपने पत्रांक सं०–70, दिनांक–22/01/2015 से भवदीय पत्रांक–329/रा०, दिनांक–24/04/2014 के आलोक में जांच प्रतिवेदन समर्पित किये जिसमें अंकित है कि जियारत खान खेवट नं02/9 से भूमि को आवेदक साजीद खान/अपीलार्थी के दादा करीम खान को केवाला सं०–642, दिनांक–24/02/1940 से जियारत खान ने दोवामी बन्दोबस्ती रैयत प्राप्त है। दोनों बिन्दुओं को भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने अनदेखा कर गलत आदेश पारित किये है। मौजा–भदवा, खाता नं0–24, प्लॉट नं0–229, रकवा–0.94 एकड़, प्लॉट नं0–440, रकवा–0.80 एकड़ भूमि का जमाबंदी वर्तमान में आवेदक के दादा करीम खान के नाम से दर्ज है, जिसका वर्तमान समय तक सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होते आ रहा है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा द्वितीय पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी दाखिल–खारीज वाद सं0–758/12–13 में दर्ज खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440 मध्य–0.06 3/4 एकड़ को रद्द करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विपक्षी मौजा भदवा, थाना माण्डू, जिला रामगढ़ का स्थानीय निवासी है। इस वाद की कार्यवाही कानूनी रूप से खारीज करने योग्य है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त दायर विविध वाद आवेदन तब पोषनीय होता जब प्रथम पक्ष द्वारा जमाबंदी कायम के 30 दिनों के अन्दर अपील दायर किया जाता। चुंकि प्रथम पक्ष के द्वारा निर्धारित अवधि में अपील दायर नहीं किया गया है। इसलिए उक्त विविध वाद पोषनीय नहीं है। द्वितीय पक्ष की जमाबंदी उनके दखल कब्जा एवं कागजातों के आधार पर अंचल अधिकारी के द्वारा दिया गया है। इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। मो0 सफीउल्लाह एवं मो0 अनवर हुसैन ने मौजा–भदवा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, रकवा–0.06 3/4 एकड़ एवं 0.17 3/4 एकड़, कुल रकवा–0.24 1/2 एकड़ भूमि सेराज खान, पिता–रफीक खान वो रहमान खान वो अख्तर, पिता नन्हकु खान उर्फ माशुल जमा खान से दिनांक–17.12.2013 को निबंधित केवाला सं0–3642 से उचित सलामी मूल्य 1,25,000/–रू0 देकर क्रय किया और शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में आए। सेराज खान, पिता स्व0 रफीक खान वो लतीफ खान, पिता–स्व0 कमरूल खान, एवं गुलजार खान, पिता–इस्माईल खान, ग्राम–भदवा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ ने खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, रकवा–0.15 3/4 एकड़ एवं खाता सं0–83, प्लॉट सं0–384, रकवा–0.07 एकड़, कुल रकवा–0.22 3/4 एकड़ भूमि मो0 सफीउल्लाह, पिता लियाकत मिर्जा को निबंधित केवाला सं0–379, दिनांक–11.02.2014 से उचित सलामी मूल्य 1,25,000/–रू0 देकर क्रय किया और शांतिपूर्ण दखल–कब्जा दिया। मो0 सफीउल्लाह, पिता स्व0 लियाकत मिर्जा ने ग्राम–भदवा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, रकवा–0.06 3/4 एकड़ एवं खाता सं0–83, प्लॉट सं0–384, रकवा–0.24 एकड़, मध्ये रकवा–0.03 1/2 एकड़ भूमि संजर खान पिता रफीक खान ने निबंधित केवाला सं0–959, दिनांक–10.04.2012 से उचित सलामी मूल्य 50,000/–रू0 देकर क्रय किया और शांतिपूर्वक दखल–कब्जा में आए। मो0 मुस्तफा मिर्जा, पिता अमजद मिर्जा ने ग्राम–भदवा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के खाता सं0–24, प्लॉट सं0–429, रकवा–0.94 एकड़ मध्ये रकवा–0.31 1/3 एकड़ एवं खाता सं0–02, प्लॉट सं0–439, रकवा–0.45 एकड़, मध्ये रकवा–0.09 एकड़ भूमि सरीफ खान, पिता–करीम खान एवं अख्तर खान, पिता मशुल जमा खान उर्फ नन्हका खान से दिनांक–18.07.1989 को क्रय किया व दखलकार हुए। खाता सं0–40, प्लॉट सं0–440,

429, रकवा–0.98 एकड़ भूमि क्रय करने के बाद द्वितीय पक्ष ने दाखिल–खारीज हेतु अंचल अधिकारी, माण्डू के यहाँ आवेदन दिया। अंचल अधिकारी, माण्डू ने आवेदन की जाँच कर दाखिल–खारीज किया और लगान रसीद निर्गत किया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विपक्षी सं0–01 के सदस्य ने आवासीय मकान बनाया तथा नया मकान के लिए सामान जमा किया। विपक्षी के सदस्य परिवार के साथ निवास करते हैं। प्रथम पक्ष के पिता सरीफ खान पिता–करीम खान ने उक्त भूमि को मोहम्मद मुस्तफा मिर्जा एवं अख्तार खान को निबंधित केवाला से बिक्री कर दिया। उन्होंने प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि ग्राम भदवा के खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, रकवा–0.80 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बकास्त लगान पाने वाला जियारत खान खेवट सं0–2/9 दर्ज है। इस भूमि को आवेदक साजीद खान के दादा करीम खान को केवाला सं0–642, दिनांक–24.02.1940 द्वारा जियारत खान से पथ देवामी बंदोबस्ती रैयती प्राप्त है। करीम खान, पिता–कचन खान के नाम से इस खाता का जमाबंदी अन्य खाता के साथ शामिल होकर कायम है। इस प्लॉट के रकवा–0.6 3/4 एकड़ भूमि जमाबंदी रैयत करमी खान के भाई के पुत्र संजर खान ने केवाला सं0–959, दिनांक–10.04.2012 द्वारा मोहम्मद सफीउल्लाह, पिता–स्व0 लियाकत मिर्जा के पास बिक्री कर दी जिसका नामान्तरण वाद सं0–758/2012–13 द्वारा स्वीकृत होकर मो0 सफीउल्लाह के नाम से जमाबंदी कायम हुई है। आवेदक द्वारा मोहम्मद सफीउल्लाह के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा उक्त अनुशंसा के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अपने आदेश फलक में अंकित किया है कि मौजा भदवा के खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, रकवा–0.80 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बकास्त लगान पाने वाला जियारत खान खेवट सं0–2/9 दर्ज है। प्रथम पक्ष का दावा है कि उक्त भूमि उनके दादा करीम खान वल्द रूचान खान को जिआरत खान वल्द रोजी खान से निबंधित दस्तावेज सं0–642, दिनांक–24.02.1940 से प्राप्त होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। प्रश्नगत् भूमि बकास्त लगान पाने वाला जियारत खान दर्ज है, तो B.R.L. Act 1950 की धारा–5, 6, 7 के तहत् जमाबंदी जियारत खान के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी। करीम खान के नाम से जमाबंदी कायम कैसे की गई है इस संबंध में आवेदक अथवा अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा कोई जिक्र नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष का दावा है कि उक्त भूमि उन्हें केवाला सं0–959, दिनांक–10.04.2012 के द्वारा संजर खान, पिता–स्व0 रफीक खान से क्रय किया गया है एवं अंचल अधिकारी, माण्डू के दाखिल–खारीज वाद सं0–758/2012–13 से जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत हो रहा है। प्रथम पक्ष का कहना है कि दाखिल–खारीज वाद सं0–758/2012–13 से द्वितीय पक्ष की कायम जमाबंदी में प्रथम पक्ष की जमाबंदी से घटाया नहीं गया है। जहां प्रथम पक्ष का यह कहना कि संजर खान, पिता–स्व0 रफीक खान को उक्त भूमि बिक्री का अधिकार नहीं था। इसका निर्णय करना इस न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। प्रथम पक्ष का आवेदन सी0आर0आर0 वाद से संबंधित है। जिसमें दाखिल–खारीज वाद सं0–758/2012–13 से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। चुंकि दोनो पक्ष एक ही भूमि पर दावा करते हैं अर्थात मामला स्वत्व वाद से संबंधित है। अतः

जब तक संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय से अपना स्वत्व निर्धारण नहीं करा लेते तब तक इस न्यायालय से किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना न्यायोचित् नहीं है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–भदवा, थाना सं0–173, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के खाता स0–24, प्लॉट सं0–229, रकबा–0.94 एकड़, वो प्लॉट सं0–440, कुल रकबा–0.80 एकड़, जमीन मौजा–भदवा के जिआरत खान वल्द रोजी खान के नाम से खतियान में दर्ज था। मौजा–भदवा थाना सं0–173, खाता सं0–24, प्लॉट सं0–229, रकबा–0.94 एकड़ वो प्लॉट सं0–440, कुल रकबा–0.80 एक जमीन को जिआरत खान वल्द रोजी खान ने निबंधित दस्तावेज सं0–642, दिनांक–24.02.1940 को आवेदक के दादा करीम खान वल्द रूचान खान के हाथ मो0 125/–रू० सलामी लेकर बिक्री कर दिये। प्रथम पक्ष का दावा है कि उक्त भूमि उनके दादा करीम खान वल्द रूचान खान को जिआरत खान वल्द रोजी खान से निबंधित दस्तावेज सं0–642, दिनांक–24.02.1940 से प्राप्त होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है एवं द्वितीय पक्ष का दावा है कि उक्त भूमि उन्हें केवाला सं0–959, दिनांक–10.04.2012 के द्वारा संजर खान, पिता–स्व0 रफीक खान से क्रय किया गया है एवं अंचल अधिकारी, माण्डू के दाखिल–खारीज वाद सं0–758/2012–13 से जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत हो रहा है, के आधार पर अपना–अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं।

विषयगत वाद से संबंधित भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम भदवा के खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, रकवा–0.80 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बकास्त लगान पाने वाला जियारत खान खेवट सं0–2/9 दर्ज है। इस भूमि को आवेदक साजीद खान के दादा करीम खान को केवाला सं0–642, दिनांक–24.02.1940 द्वारा जियारत खान से पथ देवामी बंदोबस्ती रैयती प्राप्त है। करीम खान, पिता–कचन खान के नाम से इस खाता का जमाबंदी अन्य खाता के साथ शामिल होकर कायम है। इस प्लॉट के रकवा–0.6 3/4 एकड़ भूमि जमाबंदी रैयत करमी खान के भाई के पुत्र संजर खान ने केवाला सं0–959, दिनांक–10.04.2012 द्वारा मोहम्मद सफीउल्लाह, पिता–स्व0 लियाकत मिर्जा के पास बिक्री कर दी जिसका नामान्तरण वाद सं0–758/2012–13 द्वारा स्वीकृत होकर मो0 सफीउल्लाह के नाम से जमाबंदी कायम हुई है।

विषयगत वाद के संबंध में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि उनके दादा करीम खान वल्द रूचान खान को जिआरत खान वल्द रोजी खान से निबंधित दस्तावेज सं0–642, दिनांक–24.02.1940 से प्राप्त होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है, के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि उन्हें केवाला सं0–959, दिनांक–10.04.2012 के द्वारा संजर खान, पिता–स्व0 रफीक खान से क्रय किया गया है एवं अंचल अधिकारी, माण्डू के दाखिल–खारीज वाद सं0–758/2012–13 से जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत हो रहा है, के आधार पर दावा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0–758/2012–13 से मो0 सफीउल्ला के नाम से कायम

जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। चुंकि दोनो पक्ष एक ही भूमि पर दावा करते हैं अर्थात मामला स्वत्व वाद से संबंधित है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष अपने–अपने दस्तावेज के आधार पर दावा कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में निम्न न्यायालय द्वारा भी यह मानते हुए कि एक ही भूमि मौजा–भदवा, खाता सं0–24, प्लॉट सं0–440, रकबा–0.06 3/4 एकड़ पर उभय पक्षों का दावा है, जो स्वत्व वाद का मामला है। निर्धारण करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। विधि–सम्मत् एवं न्यायोचित् प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई औचित्व प्रतीत नहीं होता है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

प्रभावी पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

14/1/2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

14/1/2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2022.01.27 15:22:12 +05:30
Location: 10.93.57.22